सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 70/2015
श्रीमती कमला बनाम तहसीलदार ब्यावर व अन्य
प्रार्थना पत्र वास्ते अपील रेस्टोर करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

दिनांक 07-08-2019

आदेश

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते रेस्टोर करने अपील बाबत् प्रस्तुत कर सारांशतः निवेदन किया है कि प्रार्थिया ने नामान्तरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम श्रीमती कमला बनाम तहसीलदार व अन्य जिसका राजस्व अपील नम्बर 07/2010 दिनांक 10.12.2012 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज़ की हुई, को रेस्टोर कराने का आवेदन प्रस्तुत किया जिसका उनवान श्रीमती कमला बनाम तहसीलदार व अन्य, रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 100/2013 इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संख्या 100/2013 श्रीमती कमला बनाम तहसीलदार व अन्य दिनांक 28.01.2015 को वकील प्रार्थिया एवं स्वयं प्रार्थिया के अनुपस्थित रहने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये। प्रार्थिया का उक्त प्रकरण दिनांक 19.11.2014 को नियत था, उक्त दिवस को पी.ओ. साहब नगर परिषद चुनाव कार्य में व्यस्त होने से न्यायालय में जनरल तारीख पेशी दिनांक 28.01.2015 को दी गई। प्रार्थिया के अभिभाषक अजमेर के है जो सोमवार के दि नही आते हैं, इस कारण प्रार्थिया को सूचित किया कि आगामी तारीख 28.01.2015 पड़ी है, उक्त तारीख पेशी को सोमवार नहीं है, अतः प्रार्थिया स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर आगामी तारीख पेशी लेकर सूचित करे। प्रार्थिया ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ पर्दानशीन महिला होने से तारीख पेशी भूल गई एवं दिनांक 28.01.2015 को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी, प्रार्थिया की मंशा कभी भी अनुपस्थित रहने की नहीं रही परन्तु प्रार्थिया के अनपढ़ होने एवं तारीख पेशी की समझ ना होने से ऐसा हुआ। प्रार्थिया अपने परिवार के व्यक्ति को लेकर प्रकरण की जानकारी करवाई तब जानकारी हुई कि प्रकरण दिनांक 28.02.2015 थी एवं प्रार्थिया के उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण अदम हाजरी में खारिज हो गया, तत्काल नकल हेतु आवेदन कर नकल प्राप्त की जो दिनांक 03.03.2015 को प्राप्त हुई एवं नकल प्राप्त होते ही यह आवेदन प्रस्तुत कर रही है। प्रार्थिया का आवेदन पुनः रेस्टोर न करने की स्थिति में प्रार्थिया अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जायेगी जिससे प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका राशि में मुल्यांकन संभव नहीं है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन अपील आवेदन नम्बर 100/2013 पुनः उसी नम्बर पर दर्ज कर सुनवाई की जानी आवश्यक है, प्रकरण कृषि भूमि के नामान्तरकरण से सम्बन्धित है ताबकि प्रार्थिया न्याय से वंचित ना हो सके। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरशन अपील नम्बर 100/2013 दिनांक 19.11.2013 श्रीमती कमला बनाम तहसीलदार व अन्य को रेस्टोर कर पुनः उसी नम्बर पर दर्ज कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर अनुग्रहित करे।

वकील प्रार्थिया की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के कथन किए।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि **स्वयं प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में यह कथन किए हैं** प्रार्थिया ने नामान्तरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम श्रीमती कमला बनाम तहसीलदार व अन्य जिसका अपील नम्बर 07/2010 जो दिनांक 10.12.2012 को अदम पैरवी में खारिज़ हुई। जिसे रेस्टोर करने का आवेदन पत्र संख्या 100/2013 प्रस्तुत किया जिसे भी दिनांक 28.01.2015 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज़ कर दिया गया।

चूंकि प्रार्थिया व उनके अधिवक्ता समय समय पर प्रकरण के प्रति जागरूक नहीं रहे हैं व प्रकरण की प्रभावी पैरवी करने में असफल रहे हैं एवं इस कारण मूल अपील तथा उस पर रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र पूर्व में खारिज़ किया जा चुका है जिसकी कहीं भी अपील/रिवीजन नहीं की गई एवं उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के खारिज़ होने के बावजूद पुनः यह नया रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 07-8-19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.07 15:45:06 IST
Reason: SelfAttested